

## संपादकीय

## करतूतों की काली हवाएं

न्यायालय के आदेशों की अनदेखी कर दिल्लीवासियों ने दीपावली पर इतने पटाखे फोड़े कि प्रदूषण खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया। चारों तरफ धूंध की चादर बिछी है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आर्थिक में जलन की शिकायत है। दृश्यता बेहद कम हो गई है। दिल्ली के लोधी रोड पर लगे एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन पर कल सुबह हवा में धुए खतरनाक महीन प्रदूषणकारी कणों पीएम 2.5 का स्तर 500 माइ ग्रेम प्रति मीटर क्यूबिक खतरनाक स्तर पर था। पीएम 2.5 बारीक कण होते हैं, जिनके बढ़ने से ही धूंध बढ़ती है। इनकी सीमा 2.5 से 60 तक संतोषजनक स्थिति में मानी जाती है और दो माइ ग्रेम से ज्यादा प्रदूषणकारी कणों की मौजूदगी अस्वास्थ्य की श्रेणी में शुभार होती है। पटाखे छोड़े जाने से पहले स्थिति 300 से नीचे थी और रात 10 बजे के बाद हवाएं हो गई 999 आंकड़े से भी ज्यादा ज़हरीली। आनंद विहार इलाके में प्रदूषण का लेवल 999 दर्ज किया गया। शाहदरा पटपड़गंज और लाला और अरविंदो मार्ग पर प्रदूषण स्तर खतरनाक सीमा के आसपास बना रहा। न्यायालय ने ग्रीन पटाखे चलाने की सलाह और आतिशबाजी की अनुमति रात 8 बजे से 10 तक ही दी थी।

देश की राजधानी दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे एनीआर के बड़े शहरों को चंडीगढ़ से सबक लेना चाहिए। चंडीगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिकतम 300 तक पहुंचा, दिल्ली में चंडीगढ़ के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा प्रदूषण बढ़ा। चंडीगढ़वासियों ने विधिरित समय सीमा का पालन किया, प्रशासन भी सख्त व सरक्त रहा और आदेशों का पालन न करने वाले 38 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चालान काटे। दिल्ली पुलिस ने भी चालान काटने, गिरफ्तारी और पटाखे बरामदी का अभियान चलाया। दरअसल इस समस्या का समाधान अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर नियंत्रण से ही संभव है। साथ ही समाज को प्रदूषण के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है। यदि समय रहते ही समाज और बाजार को समस्याओं से जूझाने के लिए तैयार कर लिया जाए तो नियंत्रण संभव है। जनकवि नीरज के आङ्गन के साथ कि 'कटेंगे तभी यह अंथरे धिरे अब, स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए।'